



क्रमांक : 2200

दिनांक : 23.08.2022


विज्ञप्ति/आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र रायसिंहनगर में 69-ए के तहत पट्टा आवेदन की निम्न क्रम संख्या 01 से 29 तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(313)/न.वि.वि./3/2011 दिनांक 24.02.2020 के बिन्दू संख्या 02 के अन्तर्गत पूर्व में जारी पट्टे (जिनकी अवधि 3 वर्ष से अधिक हो गयी है व पंजीयन नहीं हुआ) का समर्पण कर पुनः पट्टा जारी करने हेतु निम्न क्रम संख्या 30 से 33 तक राज्य सरकार की निर्धारित गाईडलाईन अनुसार पट्टा जारी किये जाने बाबत पालिका स्तर पर विचाराधीन है। जिसके संबंध में आमजन से यह आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय ठोस दस्तावेज आपत्तियां आमत्रित की जाती है। कोई भी खासोआम आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय ठोस दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस के दौरान पालिका कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त वर्णित 7 दिवस की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी निम्न सूची में अंकित पत्रावली के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जावेगा कि किसी भी आमजन को पट्टा आवेदन के संबंध में कोई भी उजर एतराज नहीं है तथा पट्टा आवेदन का तदनुसार निपटारा कर दिया जावेगा एवं समयावधि उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जावेगा।

सूचित रहे।

क्र. सं.	आवेदनकर्ता/ भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड संख्या (जिसमें भूखण्ड स्थित है)	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का साईज	पट्टा जिसके तहत जारी किया जाना है
1	श्री गिरधारी लाल	श्री औमप्रकाश	4	भूखण्ड सं. 09 का 1/2 भाग पूर्वी दक्षिणी पासा आर ब्लॉक	30'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
2	श्रीमती सुशीला जोरा	श्री कृष्ण कुमार जोरा	20	धानमण्डी दुकान सं. 65 का 1/2 भाग मय बरामदा	22'X57'6" फुट	69-ए के तहत नियमन
3	श्री छिन्द्रपाल	श्री दीपाराम	21	भूखण्ड सं. 101 का 1/2 भाग पश्चिमी पासा एम ब्लॉक	12'6"X50' फुट	69-ए के तहत नियमन
4	श्रीमती छिन्द्र पाल कौर	श्री अमरजीत सिंह	28	भूखण्ड सं. 47 का 1/4 भाग पूर्वी दक्षिणी पासा डी ब्लॉक	33'X29'9" फुट	69-ए के तहत नियमन
5	श्रीमती सुनीता कौशिक	श्री अनिल कुमार	21	भूखण्ड सं. 42 का 1/2 भाग पूर्वी पासा सी ब्लॉक	20'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
6	श्री अश्वनी कुमार	श्री इन्द्र कुमार	27	भूखण्ड सं. 06 का 1/2 भाग दक्षिणी पूर्वी पासा ए ब्लॉक	50'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
7	श्री घनश्याम शर्मा	श्री हनुमान प्रसाद	04	भूखण्ड सं. 9 का 1/4 भाग पूर्वी दक्षिणी पासा आर ब्लॉक	20'X30' फुट	69-ए के तहत नियमन
8	श्रीमती सुनीता जोरा	श्री कन्हैयालाल	22	भूखण्ड सं. 17 का 1/4 भाग ए ब्लॉक	35'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
9	श्री कन्हैयालाल	श्री रामस्वरूप	28	भूखण्ड सं. 17 का 1/4 भाग पूर्वी दक्षिणी पासा ए ब्लॉक	49'9"X41'6" फुट	69-ए के तहत नियमन
10	श्री रामलाल	श्री हरीराम	20	भूखण्ड सं. 64 का 1/2 भाग बी ब्लॉक	25'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
11	श्री नवीन कुमार	श्री सोहनलाल	30	धानमण्डी दुकान सं. 39 का 1/2 भाग पश्चिमी पासा	11'X115' फुट	69-ए के तहत नियमन
12	श्री सोहनलाल	श्री चेताराम	30	धानमण्डी दुकान सं. 39 का 1/2 भाग पूर्वी पासा	11'X115' फुट	69-ए के तहत नियमन
13	श्री रमेश कुमार	श्री खेताराम	23	भूखण्ड सं. 07 का मध्य भाग बी ब्लॉक	14'3"X50' फुट	69-ए के तहत नियमन
14	श्री सतपाल सोनी	श्री रामप्रताप सोनी	04	भूखण्ड सं. 117 व 120 का 1/2 भाग आर ब्लॉक	45'X60' फुट	69-ए के तहत नियमन
15	श्री धर्मपाल सोनी	श्री रामप्रताप सोनी	04	भूखण्ड सं. 25 का 1/2 भाग पूर्वी पासा आर ब्लॉक	30'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
16	श्री तरसेम चन्द	श्री टेकचन्द	22	भूखण्ड सं. 70 का भाग सी ब्लॉक	28'6"X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
17	श्री जयन्त जोड़ा व मनीष जोड़ा	श्री प्रेम कुमार	26	भूखण्ड सं. 67 का 1/2 भाग उत्तरी पश्चिमी पासा आर ब्लॉक	30'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन

18	श्री अशोक कुमार मुन्दडा व श्री सौरभ मुन्दडा	श्री माणक चन्द व श्री दिनेश कुमार मुन्दडा	30	गोल बाजार दुकान सं. 14	50'X20' फुट	69-ए के तहत नियमन
19	श्रीमती अनीता रानी	श्री नरेश कुमार	31	धानमण्डी दुकान सं. 03 का 1/4 भाग	11'X58' फुट	69-ए के तहत नियमन
20	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री सन्ता सिंह	31	औद्योगिक भूखण्ड सं. 03 का भाग	18'4''X50' फुट	69-ए के तहत नियमन
21	श्री बाबू सिंह	श्री सन्ता सिंह	31	औद्योगिक भूखण्ड सं. 03 का भाग	18'4''X50' फुट	69-ए के तहत नियमन
22	श्री गुरसेवक सिंह	श्री साधू सिंह	31	औद्योगिक भूखण्ड सं. 03 का भाग	18'4''X50' फुट	69-ए के तहत नियमन
23	श्री पवन कुमार व सुशील कुमार	श्री मदनलाल	31	नोहरा सं. 15 का 1/2 भाग	21'X82' फुट	69-ए के तहत नियमन
24	श्री कालूराम	श्री हेमराज	31	नोहरा सं. 15 का 1/4 भाग उत्तरी पश्चिमी पासा	10'6''X75' फुट	69-ए के तहत नियमन
25	श्री राजेश कुमार	श्री हेमराज	31	नोहरा सं. 15 का 1/4 भाग उत्तरी पूर्वी पासा	10'6''X75' फुट	69-ए के तहत नियमन
26	श्री अशोक कुमार	श्री लीलाधर	28	भूखण्ड सं. 36 में से 1/2 भाग पूर्वी पासा डी ब्लॉक	20'X40' फुट	69-ए के तहत नियमन
27	श्रीमती ममता बंसल	श्री श्याम सुन्दर	31	धानमण्डी दुकान सं. 62 का भाग	22'X40'6'' फुट	69-ए के तहत नियमन
28	श्री रमेश कुमार	श्री परमानन्द	27	भूखण्ड सं. 43 का 1/4 भाग उत्तरी पूर्वी पासा ए ब्लॉक	952.58 वर्गफुट	69-ए के तहत नियमन
29	श्रीमती सरला देवी	श्री रमेश कुमार	31	धानमण्डी दुकान सं. 63 का भाग	11'6''X32' फुट	69-ए के तहत नियमन
30	श्री श्रवण कुमार	श्री घड़सीराम	09	सर्वे सं. 05/07	15'6''X63' फुट	नवीनीकरण
31	श्रीमती मैना देवी	श्री औमप्रकाश	13	सर्वे सं. 227/12	20'X40' फुट	नवीनीकरण
32	श्री दर्शन सिंह	श्री सरजीत सिंह	06	सर्वे सं. 21/04	27'+29' / 2X33' फुट	नवीनीकरण
33	श्री फता राम	श्री किसना राम	11	सर्वे सं. 616/8	27'X45'9'' फुट	नवीनीकरण


 (हंसा मीणा)
 अधिशाषी अधिकारी
 नगरपालिका रायसिंहनगर



क्रमांक : 2201

दिनांक : 23.08.2022

विज्ञापित/आपत्ति सूचना

निम्न ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आर ब्लॉक, एम ब्लॉक, गोल बाजार, पुरानी धानमण्डी, औद्योगिक भूखण्ड व नोहरा तथा कच्ची बस्ती के वार्ड संख्या 06, 09, 11 व 13 के आवेदनकर्ताओं ने अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन किया है। संबंधित आवेदन की विस्तृत जानकारी नगरपालिका रायसिंहनगर की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in@ulbraisinghnagar> एवं स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाइट <http://lsg.urban.rajasthan.gov.in> तथा <http://shahar2021.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। अपना दावा/आपत्ति नगरपालिका रायसिंहनगर में 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

(हंसा मीणा)

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका रायसिंहनगर

दिनांक : 23.08.2022

क्रमांक :

प्रतिलिपि :-

1. सम्पादक राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना का आगामी अंक के स्थानीय संस्करण में सुपाट्य एवं कम से कम साईज में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक विभागों हेतु निर्धारित दरों पर प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति सहित बिल पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त आपत्ति सूचना का साईज किसी भी दशा में साईज 2 कॉलम X 4 सेमी से अधिक नहीं हों।
2. सम्पादक पंजाब केसरी श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना का आगामी अंक के स्थानीय संस्करण में सुपाट्य एवं कम से कम साईज में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक विभागों हेतु निर्धारित दरों पर प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति सहित बिल पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त आपत्ति सूचना का साईज किसी भी दशा में साईज 2 कॉलम X 4 सेमी से अधिक नहीं हों।
3. नोटिस बोर्ड नगरपालिका कार्यालय।
4. नोटिस बोर्ड तहसील कार्यालय।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(हंसा मीणा)

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका रायसिंहनगर